

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 04.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 04.10.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.10.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं:

वूमेन पॉवर लाइन - 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा - 112

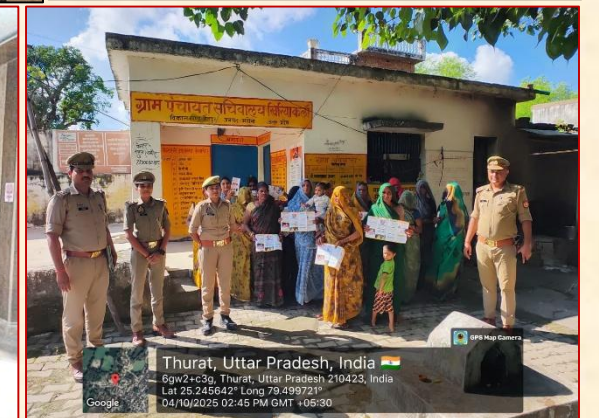
एम्बुलेंस सेवा - 108, चाइल्ड लाइन - 1098, स्वास्थ्य सेवा - 102

महिला हेल्पलाइन - 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन - 1076, साइबर हेल्पलाइन - 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



मिशन शक्ति टीम की संवेदनशील पहल - मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सुरक्षित परिजनों से मिलवाया गया

दिनांक 03.10.2025 को म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा मय मिशन शक्ति टीम एवं चालक कां0 अंशुल द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र में शांति सुरक्षा ड्यूटी एवं एंटी रोमियो चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि पचराहा, चरखारी क्षेत्र में एक महिला काफी देर से घूम रही है।

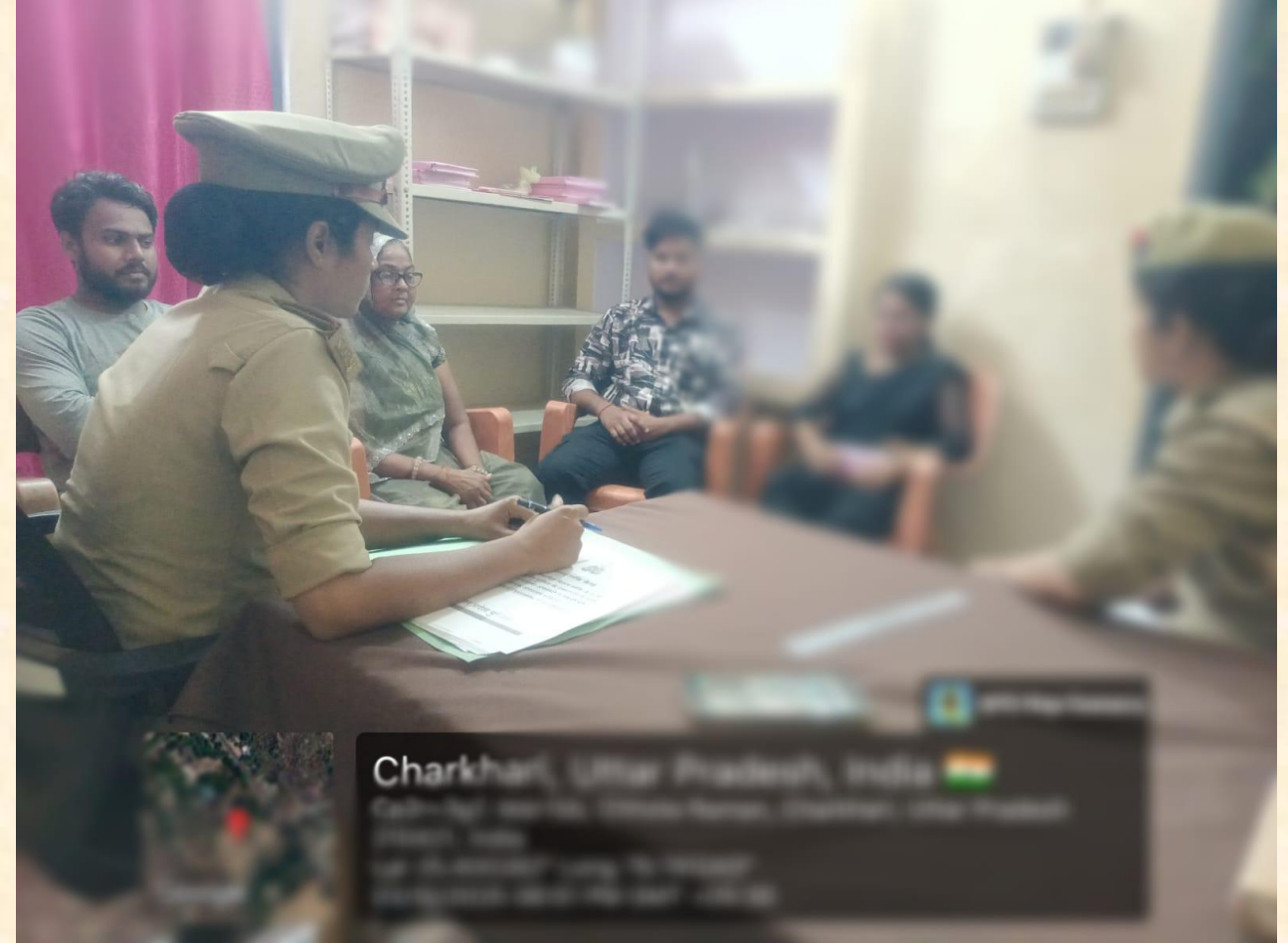
पुलिस टीम द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर महिला को सुरक्षित मिशन शक्ति केन्द्र, थाना चरखारी महोबा लाया गया।

जहाँ महिला से विनम्र काउंसलिंग में ज्ञात हुआ कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसका नाम कंचन पत्नी करण उर्फ संजू, निवासी नौगांव, जनपद छतरपुर (म.प्र.) है।

मिशन शक्ति केन्द्र पर नियुक्त काउंसलर द्वारा महिला की काउंसलिंग की गई। महिला से प्राप्त मोबाइल नंबर पर सम्पर्क कर उसके पति करण एवं माता को थाना पर बुलाया गया। तत्पश्चात नियमानुसार महिला की परिजनों को सुपुर्दगी कर ससम्मान रुक्सत किया गया।

मिशन शक्ति केन्द्र की महत्ता -

- मिशन शक्ति केन्द्र महिलाओं को सुरक्षा व भरोसा प्रदान करता है।
- संवेदनशील परिस्थितियों में त्वरित सहायता व परामर्श उपलब्ध कराता है।
- तकनीकी साधनों का प्रयोग कर परिजनों से सम्पर्क स्थापित करता है।
- महिलाओं को ससम्मान घर वापसी सुनिश्चित करता है।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद के साइबर थाने का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा आज दिनांक 04.10.2025 को पुलिस लाइन महोबा में स्थापित जनपदीय साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर अपराधों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित को इन मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया।

उन्होंने साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि साइबर अपराध की जांच में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए ताकि साक्ष्य संकलन और अभियोजन में गुणवत्ता बनी रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने प्रभारी साइबर थाना, श्री फहीम अख्तर को आमजन को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिससे नागरिक इस प्रकार के अपराधों से सतर्क और सुरक्षित रह सकें। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ित को समय पर न्याय मिले।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पब्लिक फ्रेंडली बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि को नियमित रूप से अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखा जाए।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 1 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह उ0नि0 विशाल बाजपेई के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अंकित यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. उ0नि0 विशाल बाजपेई

गिरफ्तार अभियुक्त -

अंकित यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने

01 नफर वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में सलिप्त वाछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित म0उ0नि0 दीक्षा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2025 धारा 137(2)/87/142/65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वाछित अभियुक्त राजेन्द्र खटीक पुत्र जगमोहन खटीक उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम रिवाई मोड़ प्रतीक्षालय के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेन्द्र खटीक पुत्र जगमोहन खटीक उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. म0उ0नि0 दीक्षा
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
3. कां0 मनोज कुमार



MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.10.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,600/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 1366/2006 धारा 279/337/338 भादवि. से सम्बंधित अभियुक्त बृजगोपाल पुत्र श्यामलाल निवासी कस्बा थाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,600/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।